A052-20222023-001-339517

संख्या-109/2022/1159/52-1-2022-01(111)/13

प्रेषक,

शकील अहमद सिद्दीकी,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश,

इन्दिरा भवन, लखनऊ ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 15 दिसम्बर, 2022**

विषय- प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पूर्ववर्ती एम0एस0डी0पी0) के अन्तर्गत जनपद कासगंज/एटा के विकास खण्ड-गंजडुण्डवारा के मुंशीनगर, गणेशपुर एवं मऊ में आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण की द्वितीय किश्त **केन्द्रांश की धनराशि** अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण के पत्र सं0-3528/अ0सं0क0नि0/पी0एम0जे0वी0के0/धन मॉग-पत्र/2022-23 दिनांक 15.11.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा विषयांकित परियोजनाओं की द्वितीय किश्त केन्द्रांश की धनराशि निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-13/40/2018-एम0एस0डी0पी0-मोमा दिनांक 30.03.2019 द्वारा कुल अनुमोदित केन्द्रांश के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त केन्द्रांश की धनरशि **रू0 4.23 लाख (रूपये चार लाख तेईस हजार मात्र)** योजना के चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के (लेखा शीर्षक 4235-02-800-0104) में प्राविधानित बजट 240.00 लाख के सापेक्ष उपलब्ध धनराशि, जिसे अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 के पत्र दिनांक 20.07.2022 द्वारा एस0एन0ए0 खाते में जमा किया गया है, में से निम्नानुसार आहरित कर आपके निवर्तन पर रखने व व्यय करने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(केन्द्रांश-100/राज्यांश-00) **(रू0 लाख में)**

क्र0	जनपद	योजना	कार्यदायी संस्था का नाम	इकाई	कुल अनुमोदित लागत	कुल अनुमोदित केन्द्रांश	कुल राज्यांश	पूर्व में अवमुक्त प्रथम किश्त (के0)	अवमुक्त हेतु प्रस्तावित द्वितीय किश्त		प्रस्तावित अवमुक्त कुल धनराशि
									केन्द्रांश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	कासगंज/एटा	मुंशीनगर, गणेशपुर एवं मऊ में आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण	सी0 एण्ड डी0एस0	02	4.23	8.46	0.00	4.23	4.23	0.00	4.23
			योग						**4.23**	**0.00**	4.23

http://shasanadesh.up.gov.in

3- अवमुक्त धनराशि का उपभोग निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा:-

(1)- प्रश्नगत परियोजना हेतु स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा तथा केन्द्र सरकार द्वारा इस वित्त पोषित योजना के सम्बन्ध में लगाई गयी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2)- अवमुक्त धनराशि निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा **कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0** को हस्तान्तरित की जायेगी। कार्य को अनुमोदित लागत से निर्धारित समयावधि में गुणवत्ता एवं मानक के अनुसार पूर्ण किया जायेगा। समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यों की मानीटरिंग भी किया जायेगा। भविष्य में कोई भी पुनरीक्षित आंगणन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।

(3) प्रश्नगत योजनान्तर्गत केन्द्रांश उपलब्ध है, यह सुनिश्चित किये जाने के उपरान्त ही धनराशि का कोषागार से आहरण किया जायेगा।

(4) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत योजना पर राज्य सरकार एवं भारत सरकार के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है।

(5) प्रश्नगत धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान योजना विषयक गाइड लाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 की होगी।

(7) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नही है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नही की गयी है।

(8) वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(9)कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा।

(10) आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(11) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अतः इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर- 212 में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेग।

(12) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यो की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यो की मानीटरिंग भी किया जायेगा।

(13) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(14) प्रश्नगत स्वीकृति मानक के संबंध में उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व निदेशालय का होगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

(15) प्रश्नगत धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान योजना से सम्बन्धित भारत सरकार की गाइडलाइन्स का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

(16) केन्द्रपोषित योजनाओं के अन्तर्गत विगत वित्तीय वर्ष की अवशेष धनराशि के वर्तमान वित्तीय वर्ष में व्यय के सम्बन्ध में व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ऑफिस मेमोरेन्डम संख्या-I/(33)/PFMS/2022 दिनांक 20 मई, 2022 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश का अनुपालन किया जायेगा।

(17) योजनान्तर्गत बाटआउट्स आइटम्स की श्रेणी से आच्छादित कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था को कोई भी सेन्टेज चार्ज देय नहीं होगा।

(18)प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि को वित्त विभाग के शासनादेश **दिनांक 07.06.2022, 04-11-2022 एवं 10-11-2022** में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(19)- कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण स्थल पर एक बोर्ड तैयार किया जायेगा, जिस पर योजना के स्वीकृत होने की तिथि, पूर्ण होने की तिथि, लागत, वित्त पोषण के स्रोत तथा लक्ष्य प्राप्त करने की तिथि आदि का अंकन किया जायेगा।

(20)- अनुदान ग्राही द्वारा योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का एक पृथक खाता मेन्टेन किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि पर यदि कार्यदायी संस्था द्वारा ब्याज अर्जित किया गया है तो उसकी वसूली निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा करके उसे राजकोष में जमा कराया जायेगा।

(21)- अवमुक्त धनराशि के व्यय के उपरान्त जिलाधिकारी से हस्तान्तरित उपभोग प्रमाण-पत्र, त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट तथा निर्माण कार्य के फोटोग्राफ्स की सूची की दो-दो प्रतियां निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 को उपलब्ध करायी जायेंगी। तदोपरान्त निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र व उक्त अन्य अभिलेख शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07-06-2022 एवं 08-11-2022 में प्रदत्त दिशा-निर्देशों द्वारा जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
उप सचिव।

<u>संख्या-1159(1)/बावन-1-2022-तद्दिनांक।</u>
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।

http://shasanadesh.up.gov.in

5. प्रमुख सचिव, महिला कल्याण, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग, उ0प्र0 शासन को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत आंगनबाडी केन्द्रों के निर्माण हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु अपने स्तर से भी सम्बन्धित अधिकारी को यथावश्यक निर्देश देने का कष्ट करें।

6. निजी सचिव, मा0मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज को मा0मंत्री जी के अवलोकनार्थ।

7. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को अपर मुख्य सचिव महोदया के अवलोकनार्थ।

8. निदेशक, महिला कल्याण, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग, उत्तर प्रदेश।

9. प्रबन्ध निदेशक, **सी0एण्ड डी0एस0** को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत कार्य समयान्तर्गत एवं गुणवत्तापूर्ण रूप से सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

10. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

11. जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, **कासगंज/एटा**।

12. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को तीन स्वच्छ प्रति तथा वित्त-ई-4 को 01 प्रति।

13. लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in